

::आदेशः

उत्तराखण्ड लोक सवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा 17 के अधीन वर्ष 2019 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के समूह-"ख" के निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 (वर्तमान तैनाती संस्था) से कॉलम-05(संस्था का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जा रहा है) में अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्रीमती भारती विश्वकर्मा	प्रवक्ता फार्मसी	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा0पा गौचर (चमोली)	जनहित में
02	श्री विपिन कुमार	प्रवक्ता फार्मसी	रा0पा0 काशीपुर	रा0पा0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	जनहित में

वर्तमान तैनाती संस्था में सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने पर वहां तैनात कार्मिकों का अनिवार्य स्थानान्तरण।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री दिनेश कुमार	प्रवक्ता सिविल	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा0पा0द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	जनहित में
02	श्रीमती बबीता लोहिया	प्रवक्ता सिविल	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा0पा0 देहरादून	जनहित में
03	श्री बसंत यादव	प्रवक्ता मैकेनिकल	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा0पा0 सहिया (देहरादून)	जनहित में
04	पूजा मिया	प्रवक्ता मैकेनिकल	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा0पा0 पौड़ी (गढ़वाल)	जनहित में
05	पिम्मा देवी	प्रवक्ता मैकेनिकल	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा0पा0 श्रीनगर (गढ़वाल)	जनहित में
06	जोगेन्द्र पाल	प्रवक्ता मैकेनिकल	रा0पा0 गोपेश्वर (चमोली)	रा0पा0 गरुड़ (बागेश्वर)	जनहित में

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री सौरभ कुमार रा0पा0 चम्पावत	प्रवक्ता इलैक्ट्रानिक्स	रा0पा0 चम्पावत	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध पर

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री रामनरेश सचान	प्रवक्ता इलैक्ट्रानिक्स	रा०पा०द्वाराहाट(अल्मोडा)	रा०पा० पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)	जनहित में
02	श्री अभिमन्यु	प्रवक्ता फार्मसी	रा०पा० गौचर (चमोली)	रा०पा० श्रीनगर (गढ़वाल)	जनहित में

निर्देशित किया जाता है कि प्रधानाचार्य/कार्यालयाध्यक्ष अधिनियम की धारा-23 के अनुसार, स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त कर दें और स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के दस दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की प्रविष्टि स्थानान्तरण पोर्टल पर अंकित कर कार्मिकों का विवरण अपडेट करें।

- 2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरिक कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 5- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जाय।
- 6- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।
- 7- जो कोई, स्थानान्तरण अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो स्थानान्तरण आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या अधिनियम के किन्हीं उपलब्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

25/4/24